

ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ...भरोसे का प्रतीक ! punjab national bank ...the name you can BANK upon !						
(भारत सरकार का उपक्रम) एआरएमबी पटना: 2रा तल्ला, चाँदपुरा पैलेस, बैंक रोड, बिस्कोमान भवन के निकट, पश्चिमी गाँधी मैदान, पटना-800001 ई-मेल: cs8297@pnb.bank.in						
अचल सम्पत्ति के बिक्री हेतु बिक्री सूचना						
प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8(6) के प्रावधान के साथ पठित वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रावर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन अचल आस्तियों के विक्रय हेतु ई-नीलामी बिक्री सूचना। सर्वसाधारण एवं विशेष रूप से उधारकर्ता(ओं) एवं जमानतदार(रों) को सूचित किया जाता है कि नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति जो सुरक्षित लेनदार के पास गिरवी/बंधक है, जिसका संरचनात्मक/भौतिक/सांकेतिक कब्जा पंजाब नैशनल बैंक (सुरक्षित लेनदार) के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, नीचे उल्लेखित उधारकर्ता(ओं) एवं जमानतदार(रों) से बैंक/सुरक्षित लेनदार की बकाया राशि की वसूली के लिए निर्मल्लिखित सम्पत्तियों को “जैसा है जहाँ है”, “जैसा है जो है” एवं “वहाँ जो कुछ भी है” के आधार पर निर्मल्लिखित तालिका में दिये तिथि एवं समय पर बेची जाएगी। आरिक्षत मूल्य एवं अग्रधन राशि भी नीचे तालिका में सम्पत्ति के सामने वर्णित है। सुरक्षित परिसम्पत्तियों की अनुसूची नीलामी तिथि 24.09.2026 (अग्रधन जमा करने की अंतिम तिथि 23.09.2026 सायं 5.00 बजे तक)						
क्रं. सं.	क) शाखा का नाम ख) खाता का नाम ग) खाता नं. घ) बंधककर्ता का नाम	बंधक रखी गई अचल सम्पत्तियों का विवरण/मालिक का नाम (सम्पत्तियों के बंधककर्ता)	क) सरफेसी अधिनियम 2002 के धारा 13(2) के तहत माँग सूचना की तिथि ख) 13(2) नोटिस की तिथि तक बकाया राशि ग) सरफेसी अधिनियम 2002 के धारा 13(4) के तहत कब्जा सूचना की तिथि घ) कब्जा स्वरूप सांकेतिक/भौतिक/संरचनात्मक	क) आरक्षित मूल्य ख) ईएमडी (केवाईसी एवं ईएमडी जमा करने की अंतिम तारीख) ग) बोली वद्धि राशि	ई-नीलामी की तारीख/समय	सुरक्षित लेनदारों को ज्ञात एन्कम्ब्रेन्स का विवरण
1.	क) शाखा: जानीपुर (223900) ख) मेसर्स मानसरोवर हाई-टेक डेयरी फार्म प्राइवेट लिमिटेड ग) 2239008700000687 & 223900AG00000284 घ) (निर्देशक/जमानतदार) श्री गिरिन्द्र मोहन झा श्री शैलेन्द्र मोहन झा श्री राधा रमण झा श्रीमती विद्योत्तमा जी झा श्रीमती नितारा झा	(i) फैक्ट्री जमीन एवं उसपर ढांचा का साम्यिक बंधक जो मौजा-अजरकवे जानीपुर, परगना एवं सर्वे थाना-फुलवारी शरीफ, हाल थाना-जानीपुर, सब एवं सदर रजिस्ट्री ऑफिस-पटना सदर, जिला-पटना में अवस्थित है जिसका थाना नं.-67, कम्प्युटर कोड-119, तौजी नं.-41, खाता नं.-14, सर्वे प्लॉट नं.-62, जिसका रकबा-10 कट्टा 11 धुर 4 धुरकी (33 डिसमिल) सेल डीड नं.	क) 30.01.2026 ख) ₹5863230.46 साथ में अतिरिक्त व्याज एवं अन्य शुल्क ग) 04.06.2026 घ) सांकेतिक	क) ₹19100000/- ख) ₹1910000/- (05.10.2026 को सायं 5.00 तक) ग) ₹50,000.00	06.10.2026 को प्रातः 11:00 बजे से सायं 04:00 बजे तक	ज्ञात नहीं
-21405 तिथि 16.08.2011 में दर्ज है जो श्रीमती नितारा झा पति-श्री शैलेन्द्र मोहन झा से संबंधित है। चौहद्दी: उत्तर-सर्वे प्लॉट नं.-63, दक्षिण-मोस्मात सुख्ती देवी सर्वे प्लॉट नं.-58, पूर्व-मोस्मात सुख्ती देवी सर्वे प्लॉट नं.-61, पश्चिम-बिटल गोप सर्वे प्लॉट नं.-53. (ii) फैक्ट्री जमीन एवं उसपर ढांचा का साम्यिक बंधक जो मौजा-जानीपुर, परगना एवं सर्वे थाना-फुलवारी शरीफ, हाल थाना-जानीपुर, सब रजिस्ट्री ऑफिस-फुलवारी शरीफ, सदर रजिस्ट्री ऑफिस-पटना सदर, जिला-पटना में अवस्थित है जिसका थाना-67, कम्प्युटर कोड-119, तौजी नं.-41, खाता नं.-17, खेसरा सर्वे प्लॉट नं.-61(भाग), जिसका रकबा-8.533 धुर (1.33 डिसमिल) सेल डीड नं.-8464 तिथि 05.12.2014 में दर्ज है जो श्री शैलेन्द्र मोहन झा पिता-श्री राधा रमन झा से संबंधित है। चौहद्दी: उत्तर-श्री प्रमोद प्रसाद प्लॉट नं.-63, दक्षिण-श्री पप्पु राय पार्ट प्लॉट नं.-61, पूर्व-शाखा सड़क, पश्चिम-श्रीमती नितारा झा प्लॉट नं.-62. (iii) फैक्ट्री जमीन एवं उसपर ढांचा का साम्यिक बंधक जो मौजा-जानीपुर, परगना एवं सर्वे थाना-फुलवारी शरीफ, हाल थाना-जानीपुर, सब रजिस्ट्री ऑफिस-फुलवारी शरीफ, सदर रजिस्ट्री ऑफिस-पटना सदर, जिला-पटना में अवस्थित है जिसका थाना-67, कम्प्युटर कोड-119, तौजी नं.-41, खाता नं.-28, खेसरा सर्वे प्लॉट नं.-53(भाग), जिसका रकबा-13 धुर (2.03125 डिसमिल) सेल डीड नं.-8463 तिथि 05.12.2014 में दर्ज है जो श्री शैलेन्द्र मोहन झा पिता-श्री राधा रमन झा से संबंधित है। चौहद्दी: उत्तर-श्रीमती नितारा झा प्लॉट नं.-52, दक्षिण-श्री प्रमोद प्रसाद निज प्लॉट नं.-53, पूर्व-श्री प्रमोद प्रसाद प्लॉट नं.-63 एवं श्रीमती नितारा झा प्लॉट नं.-62, पश्चिम-श्री प्रमोद प्रसाद प्लॉट नं.-53 निज। (iv) फैक्ट्री जमीन एवं उसपर ढांचा का साम्यिक बंधक जो मौजा-अजरकवे जानीपुर, परगना एवं सर्वे थाना-फुलवारी शरीफ, हाल थाना-जानीपुर, सब एवं सदर रजिस्ट्री ऑफिस-पटना सदर, जिला-पटना में अवस्थित है जिसका थाना नं.-67, कम्प्युटर कोड-119, तौजी नं.-41, खाता नं.-14, सर्वे प्लॉट नं.-52(भाग), जिसका रकबा-34 डिसमिल, सेल डीड नं.-26145 तिथि 18.11.2013 में दर्ज है जो श्रीमती नितारा झा पति-श्री शैलेन्द्र मोहन झा से संबंधित है। चौहद्दी: उत्तर-सर्वे प्लॉट नं.-71, दक्षिण-सर्वे प्लॉट नं.-53, पूर्व-सर्वे प्लॉट नं.-70, पश्चिम-सर्वे प्लॉट नं.-51.						
2.	चक मांझी टोला शोरमपुर, जानीपुर, पटना-801505 के पास मानसरोवर हाई-टेक डेयरी फार्म प्राइवेट लिमिटेड की इकाई में संयंत्र और मशीनरी स्थापित की गई।		क) ₹1105000/- ख) ₹110500/- (05.10.2026 को सायं 5.00 तक) ग) ₹50,000.00	06.10.2026 को प्रातः 11:00 बजे से सायं 04:00 बजे तक	ज्ञात नहीं	
1. बिक्री, प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 और निम्न नियम एवं शर्तों के अधीन होगी। नीलामी बिक्री “ई-नीलामी के माध्यम से ऑनलाइन” पोर्टल https://baanknet.com से होगी। 2. इच्छुक बोलीदाताओं/खरीदारों से अनुरोध है कि वे अपने ईमेल-आईडी और मोबाइल नम्बर का उपयोग करके पोर्टल (https://baanknet.com) पर पंजीकरण करें। ईकेवाईसी की प्रक्रिया डिजिटलकर के माध्यम से की जानी है। ई-केवाईसी हो जाने के बाद, इच्छुक बोलीदाता/खरीदार पोर्टल में ई-नीलामी तिथि और समय से पहले ऑनलाइन/चालान मॉड का उपयोग करके ईएमडी राशि को अपने ई-वॉलेट में स्थानांतरित कर सकते हैं। पंजीकरण, ई-केवाईसी का सत्यापन, वॉलेट में ईएमडी का स्थानांतरण और वॉलेट राशि को सम्पत्ति से जोड़ना नीलामी से पहले ही पूरा कर लिया जाना चाहिए। 3. उपरोक्त वर्णित बयाना राशि (ईएमडी) का भुगतान ऑनलाइन/चालान के माध्यम से किया जाएगा तथा बोलीदाताओं के ई-वॉलेट में जमा किया जाएगा। जो बोलीदाता आवश्यक ईएमडी ऑनलाइन जमा नहीं करेंगे, उन्हें ई-नीलामी में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। जमा की गई बयाना राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा। 4. ई-नीलामी के लिए प्लेटफॉर्म (https://baanknet.com) ई-नीलामी सेवा प्रदाता M/s PSB Alliance Pvt. Ltd. द्वारा प्रदान किया जाएगा, जिसका पंजीकृत कार्यालय युनिट 1, तीसरा तल्ला, वीआईओएस कॉमर्शियल टॉवर, वडाला टुक टर्मीनल, वडाला इस्ट, मुम्बई-400037 में है। (हेल्पडेस्क नं.- +91 8291220220 ई-मेल आईडी-supoort.baanknet@psballiance.com)। इच्छुक बोलीदाताओं/खरीदारों को ई-नीलामी सेवा प्रदाता की वेबसाइट https://baanknet.com पर ई-नीलामी प्रक्रिया में भाग लेना आवश्यक है। यह सेवा प्रदाता पोर्टल पर ई-नीलामी पर ऑनलाइन प्रदर्शन/प्रशिक्षण भी प्रदान करेगा। 5. बिक्री के सामान्य नियमों और शर्तों वाली बिक्री सूचना निर्मल्लिखित वेबसाइट/वेब पेज पोर्टल पर उपलब्ध/प्रकाशित है:- (1) https://baanknet.com (2) www.pnbindia.in 6. ई-नीलामी के इच्छुक प्रतिभागी ई-नीलामी पोर्टल (https://baanknet.com) से इस ई-नीलामी से संबंधित बिक्री नोटिस, ई-नीलामी की नियम व शर्तें, ई-नीलामी के परिचालन भाग पर सहायता पुस्तिका की प्रतियां नि:शुल्क डाउनलोड कर सकते हैं। 7. बोली लगाने के समय बोलीदाता के ई-वॉलेट में पर्याप्त राशि (>=EMD amount) होनी चाहिए। 8. ई-नीलामी के दौरान बोलीदाताओं को अंतिम बोली के अतिरिक्त आपसी बोली में ऊँची बोली लगाने की अनुमति होगी तथा बोली राशि में वृद्धि उल्लिखित वृद्धि राशि के बराबर होनी चाहिए। बोली लगाने वालों को क्रमिक उच्चतर बोली लगाने के लिए दस मिनट का समय दिया जायेगा और यदि किसी बोलीदाता द्वारा अंतिम उच्चतम बोली के लिए दस मिनट की समाप्ति के बाद किसी भी उच्चतर बोली की पेशकश नहीं की जाती है, तो ई-नीलामी बंद हो जाएगी। 9. यह नीलामी की परिचालन सूचना, बिक्री नियमावली, ई-ऑक्शन के परिचालन से संबंधित हेल्प मैनुअल नियमों और शर्तों को ठीक से पढ़ने और उन्हें सख्ती से पालन करने की जिम्मेदारी बोलीदाताओं की होगी। 10. ई-नीलामी प्रक्रिया से पहले या उसके दौरान किसी भी कठिनाई होने पर सहायता हेतु बोलीदाता हमारे ई-नीलामी सेवा प्रदाता M/s PSB Alliance Pvt. Ltd. के अधिकृत प्रतिनिधि से संपर्क किया जा सकता है। जिसका विवरण https://baanknet.com पोर्टल पर उपलब्ध है। 11. प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ई-नीलामी को अंतिम रूप देने के बाद, केवल सफल बोलीदाता को हमारे उपरोक्त सेवा प्रदाता द्वारा एसएमएस/ई-मेल के माध्यम से सूचित किया जाएगा। (उनके द्वारा सेवा प्रदाता के पास दिये गये/पंजीकृत किये गए मोबाइल नं./ई-मेल पर)। 12. सुरक्षित परिसम्पत्ति को आरक्षित मूल्य से नीचे नहीं बेचा जायेगा। 13. सफल बोलीदाता को बोली राशि का 25% (पच्चीस प्रतिशत) (ईएमडी जमा राशि घटाकर) उसी दिन या अगले कार्यदिवस में जमा करना होगा एवं शेष राशि नीलामी की तिथि से 15 दिनों के भीतर अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक द्वारा “ प्राधिकृत अधिकारी, पंजाब नैशनल बैंक, ('Sundry-NPA/SARFAESI/Auction related' A/c 82970317118A, IFS Code-PUNB0829700) ” के पक्ष में पटना में देय जारी बैंकर्स चेक/डीमॉड ड्राफ्ट/RTGS/NEFT के रूप में भुगतान करना होगा। निर्धारित समय के भीतर उक्त राशि जमा करने में विफलता के मामले में देय, सफल बोलीदाता द्वारा जमा की गई राशि बैंक द्वारा जब्त कर ली जायेगी और प्राधिकृत अधिकारी के पास सम्पत्ति को नये सिर से नीलामी/बिक्री करने की स्वतंत्रता होगी और डिफॉल्टर बोली लगाने वाले के पास जब्त राशि और संपत्ति पर कोई दावा नहीं होगा। 14. सफल बोलीदाता को बिक्री पर विचार होने के बाद बैंक को भुगतान आयकर अधिनियम 1961 की धारा 194-1 ए के तहत टीडीएस के अधीन होगा एवं सफल बोलीदाता द्वारा बोली राशि के शेष 75% पूर्ण राशि के जमा के समय ही टीडीएस किया जाना है। 15. प्राधिकृत अधिकारी बिना कोई कारण बताए किसी भी बोली को स्वीकार करने या सभी बोलियों को अस्वीकार करने, यदि बोली स्वीकार्य नहीं पाया जाता है तो, या स्थगित/रद्द/टालने/बंद करने या किसी भी समय नीलामी की शर्तों को बदलने का अधिकार सुरक्षित रखता है और इस संबंध में उसका निर्णय अंतिम होगा। 16. बिक्री प्रमाण-पत्र अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पूर्ण बोली राशि जमा करने पर सफल बोलीदाता के पक्ष में जारी किया जाएगा। 17. सम्पत्तियों को “जैसा है, जहाँ है” एवं “जैसा है, जो है” तथा “जो कुछ भी है” के आधार पर बेचा जा रहा है। 18. अनुसूची में निर्दिष्ट सुरक्षित परिसम्पत्तियों के विवरण को प्राधिकृत अधिकारी को सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार कहा गया है, लेकिन प्राधिकृत अधिकारी इस उद्घोषणा में किसी त्रुटि, गलत कथन या चूक के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। 19. बोली लगाने से पहले यह बोली लगाने वालों की जिम्मेदारी होगी कि वे परिसम्पत्ति और विनिर्देश के बारे में निरीक्षण करें और स्वयं को सन्तुष्ट करें। बोली लगाने वाले विवरण के अनुसार बोली लगाने वाले अधिकारी के परामर्श से संपत्ति का निरीक्षण कर सकते हैं। 20. सभी वैधानिक देय/परिचर शुल्क/पंजीकरण शुल्क, स्टॉप शुल्क, कर आदि सहित अन्य देय राशि क्रेता को वहन करनी होगी। 21. प्राधिकृत अधिकारी या बैंक किसी भी प्रभार, ग्राहणाधिकार, एन्कम्ब्रेन्स या सरकार या किसी अन्य को देय सम्पत्तियों (ई-नीलामी) के संबंध में बैंक को ज्ञात नहीं होने के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इच्छुक बोलीदाता को सलाह दी जाती है कि वे संपत्तियों पर सांविधिक के बारे में अपनी स्वतंत्र पृष्ठताड करें, जिसमें वैधानिक दायित्व, सम्पत्ति कर का बकाया आदि शामिल हैं। 22. बोली लगाने वाले को उचित इंटरनेट कनेक्टिविटी, पावर बैंक-अप आदि सुनिश्चित करना चाहिए। इंटरनेट की विफलता बिजली की विफलता या तकनीकी कारणों या आकस्मिकताओं के कारण बैंक किसी भी व्यावधान के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। 23. प्रतिनिधि को नियुक्त करने और स्व-बोली लगाने और नीलामी में भाग लेने के लिए बैंक स्वतंत्र है। बिक्री की विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिए, कृपया निम्न वेबसाइट देखें: https://baanknet.com & www.pnbindia.in सरफेसी अधिनियम, 2002 के नियम 8(6) के तहत वैधानिक 30 दिन की बिक्री सूचना						
दिनांक : 28.08.2026		नोट:- विवाद की स्थिति में अंग्रेजी पाठ मान्य होगा।		प्राधिकृत अधिकारी		
स्थान : पटना				पंजाब नैशनल बैंक (सुरक्षित लेनदार)		